

प्राकृतिक आपदा के कारण घटित दुर्घटना जैसे- अतिवृष्टि/बाढ़/आगजनी/पानी के तेज बहाव/आधी तूफान/आकाशीय बिजली इत्यादि में हुई क्षति के लिए एसडीआरएफ (SDRF) मद से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र/अग्रपत्र

मे शंकर पुत्र/पत्नी/पति दीपा जाति भीम निवासी कुपुला  
ग्राम पंचायत डिसोपिया पटवार मण्डल इरका जयंत समिति एस्टोम तहसील गलेडा जिला  
बांसवाड़ा का है दिनांक 23-8-2022 को घटित प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति के लिये निम्नानुसार  
आवेदन / निवेदन करता हूँ :-

“ भाग -अ” परिवार के सदस्यों का विवरण अंकित करें

क्र.स.	सदस्यों के नाम	अयु	परिवार के मुखिया से संबंध	व्यवसाय
1				
2				
3				
4				
5				
6				

“ भाग -ब” मानव की मृत्यु/घायल के मामलों में भरा जाना

क्र.स.	विवरण	अंकित किये जाने वाले विवरण
1	घटना की दिनांक	
2	घटना स्थल	
3	घटना की प्रकृति	
4	मृत/घायल व्यक्ति का नाम, आयु एवं पूर्ण पता	
5	मृत/घायल व्यक्ति का व्यवसाय	
6	दुर्घटना का परिणाम मृत/गंभीर/साधारण घायल	
7	घटना के कारण आंख, हाथ, पैर, आदि की स्थायी रूप से क्षति हुई है तो विवरण अंकित करें	
8	घटना के कारण चिकित्सालय में भर्ती होने का विवरण अंकित करें	
9	आवेदनकर्ता का नाम पूर्ण पता	
10	मृत्यु के मामलों में मृतक से आवेदक का संबंध में	
11	आवेदक का मोबाइल नंबर	

नोट -

1. प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय बाढ़/अतिवृष्टि के कारण नकल डर नाग/आगजनी के कारण मृत्यु घायल एवं पानी के तेज बहाव में बह जाना है। यह ज्ञान होते हुए भी कि नदी/नाला/पुल बाढ़ आदि पर अत्यधिक पानी एवं तेज बहाव होने पर कर्मचारी घटित दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु का नाम देना नहीं है।
2. मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र/एम्बलिंग प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न किया जाना आवश्यक है।

3. स्वामी/संभारण प्रायल के मामले में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें क्षति का प्रतिशत उल्लेखित हो एवं घोट प्रतिवेदन संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. गंभीर होने के मामले में चिकित्सालय में भर्ती होने व छुट्टी होने की तिथि बाबत प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
5. प्रत्येक मामले में संबंधित पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है साथ ही परिवार का राशन कार्ड भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

" भाग -स" क्षतिग्रस्त मकान के मामले में भरा जाना

क्र. स.	मकान (कच्चा/बक्का/झोपड़ी) अंकित करें	क्षति का विवरण (पूर्ण/गंभीर/आंशिक) अंकित करें	मकान क्षति की अनुमानित राशि	घटना की दिनांक	प्राकृतिक घटना का कारण
	कच्चा	आंशिक	65500/-	15/11/2024	आंध्र

नोट:-

1. आगजनी के मामले में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता के अभाव में तकनीकी सहायक द्वारा मकान का क्षति मूल्यांकन प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
3. मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र या मकान पट्टा एवं मकान पूर्ण क्षति होने पर एक मकान होने का प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी या ग्राम सचिव द्वारा जारी कर लगाया जाना आवश्यक है।

" भाग -द" पशु क्षति के मामले में भरा जाना

क्र. स.	पशुओं का प्रकार	कृषक/पशु पालक के पास उपलब्ध कुल पशुओं की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	मृत पशुओं का अनुमानित मूल्य	दुर्घटना की दिनांक	प्राकृतिक दुर्घटना का कारण
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	दुधारु पशु					
1.	भैंस					
2.	गाय					
3.	ऊँटनी					
4.	भैंड					
5.	बकरी					
(ब)	अदुधारु पशु					
1.	ऊँट					
2.	बैल/सांड					
3.	घोंडा					
4.	बछड़ा					
5.	गधा					

नोट :-

1. प्रत्येक मृत पशु के मामले में पशु चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है।



मकान क्षति का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

दिनांक 25/8/22 को मेरे द्वारा घर कंठम में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षति होने

से श्री शंकर पिता दीपा जति भीम के मकान पर मौका जांच की गई। मकान पर नुकसान = आतिहासिक की

क्षति हुई गई। कच्चा पक्का मकान या ओपडी पूर्ण/गंभीर जेक रूप से क्षतिग्रस्त होना पाया गया। जिसका विवरण

निम्नानुसार है -	विवरण	संख्या X दर	बाशि
①	कवेलुपोश	2500 X 5	12000/-
②	डॉर + बाल्लिया	200 X 100	20000/-
③	दीवार	22000	22000/-
④	दरवाजा	2 X 5000	10,000/-
⑤	पाट	1 X 5000	5000/-
			<u>कुल बाशि 69000/-</u>

Haris

निकाम अधिकारी

कं कुशी  
सरपंच

ग्राम पंचायत डिण्डोरिया  
पंचायत समिति

[Signature]  
हस्ताक्षर

कनिष्ठ अभियंता  
पंचायत समिति  
**सुधराम**  
कनिष्ठ तंत्रिकी सहायक  
पं.स.घाटोल जि.बांसवाड़ा (राज.)

ग्राम पंचायत.....

:-: एक मकान होने का प्रमाण पत्र :-:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती शंकर पिता/पत्नी दीपा  
निवासी बुधवार ग्राम पंचायत डीवा तहसील गान्ध जिला बांसवाड़ा का यह एक मात्र

मकान है। इसके अलावा इनका कोई अन्य मकान नहीं है। जो अतिवृष्टि/भारी वर्षा/आगजनी से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका  
है।

[Signature]  
पटवार मण्डल  
बांसवाड़ा  
पटवार मण्डल...  
बांसवाड़ा (बांसवाड़ा)

[Signature]  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत  
पं.स.बा.येल, जि.बांसवाड़ा (राज.)